>

Title: Regarding import of products containing beef in any form.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश में गोमांस से बने उत्पादों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अपने देश में गोमांस का आयात तथा निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सूचना के अधिकार के तहत विदेश व्यापार के उप महानिदेशक द्वारा 11 मार्च, 2011 को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार "As per the policy, import of beef in any form and import of products containing beef in any form is prohibited. This is stipulated under Condition No.3 of Chapter 1A of ITC (HS) Classification of Export and Import Items." ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के बहुसंख्य समाज के लिए गाय परम्परा से पूज्य है। हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान में गाय का अतिविशिष्ट स्थान है। सभी देशवासी बहुसंख्य समाज की इस आस्था का स्वाभाविक रूप से सम्मान करते हैं। परंतु मैं अत्यंत दुख के साथ सदन को सूचित कर रहा हूं कि उपरोक्त आस्था का अपमान तथा शासन की नीति का उल्लंघन करते हुए ऐसी खाद्य वस्तुओं का उपयोग देश में हो रहा है जिनमें गोमांस का उपयोग किया गया है। इन्डोनेशिया की कम्पनी पीटी यूपी इंडो जेली गम द्वारा उत्पादित गम्मी पिजा नामक उत्पाद मेरे संज्ञान में आया है जिसके उत्पाद विवरण में बीफ गिलेटिन उपयोग किए जाने का उल्लेख है। इसे खाकर लोग विशेषकर बालक अनजाने ही गोमांस भक्षण के दोषी बन रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर विषय है अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के उत्पादों का आयात कैसे संभव हुआ, इसकी जांच कराई जाए तथा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।